राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(24)ग्रावि/नरेगा/ईएफएमएस/11–12 जयपुर, दिनांक : – ? MAY ?

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान ईएफएमएस के माध्यम से करने के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 31.01.2013 एवं 21.02.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 28.02.2013 तक योजनान्तर्गत श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान की व्यवस्था ईएफएमएस से ही लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक यह व्यवस्था सभी पंचायत समितियों में लागू नही हुई है।

दिनांक 25 एवं 26 अप्रैल, 2013 को इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित सभी एम.आई.एस. मैनेजर्स को यह निर्देश दिए गए है कि 15 मई, 2013 तक समस्त नरेगा श्रमिकों के सी.बी.एस. आधारित एवं पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या आवश्यक रूप से फ्रीज कर दिए जावे। **निर्धारित तिथि तक कार्यवाही नही किए जाने पर जिला स्तरीय एम.आई.एस. मैनेजर एवं परियोजना अधिकारी (लेखा) तथा पंचायत समिति स्तर पर ब्लाक एम.आई.एस. मैनेजर, लेखाकार एवं लेखा सहायक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।** इस स्थिति में संविदा पर कार्यरत **जिला स्तरीय एम.आई.एस. मैनेजर, संबन्धित पंचायत समिति के एम.आई.एस. मैनेजर तथा लेखा सहायक के सेवा अनुबन्ध समाप्त किए जाने** तथा नियमित रूप से कार्यरत **परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत लेखाकार के विरूद्व सी.सी.ए. नियमों के अनुरूप कार्यवाही** की जायेगी।

इस संबन्ध में जिला स्तर पर मॉनीटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जावे कि दिनांक 15 मई, 2013 तक नरेगा श्रमिकों के सी.बी.एस. आधारित एवं पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या आवश्यक रूप से फ्रीज कर दिए जावे एवं भुगतान की व्यवस्था ईएफएमएस से ही की जावे।

भवदीय

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस